FORM No. III

टी0आई0 नियेघाड़ा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

किस्म मुकदमा ...... महावीर वगै० बनाम ...... 53-89 RTA ...... मिसल नम्बर ...... 20(A)/22 ...... 5 शर्मा वो०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-4-22	वाद वादी/वादीनी महावीर वगै० की ओर से अभिभाषक प्रशान्त शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22-4-22 को पेश हो।	
22-4-22 वादीगण महावीर किशोरी बद्री अंगूरी बाबू	पत्रावली पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण हाजिर उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण को पढ़ कर सुनाया गया। वादीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया और आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13-5-22 को पेश हो।	प्रतिवादीगण दशरथकुमार गिरिराज जयसिंह [illegible] पार्वती मथुरालाल सत्यनारायण [illegible]
13/5/22	पत्रावली पेश ... उपस्थित। पीठासीन अधिकारी ... में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत ... 17/5/2022 ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

3/5/22

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के [illegible] में [illegible] होने से प्रकरण में [illegible] हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 17/5/22 को पेश हो ।

17/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] दिनांक 4-7-22 को पेश हो।

4/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] दिनांक 16-8-22 को पेश हो।

16/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] के अधिवक्ताओं के [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत [illegible] का [illegible] दिनांक 29-8-22 को पेश हो।

29/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible] दिनांक 6-9-22 को [illegible]

6/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। [illegible]

अंगूठा [illegible]
मुन्नाराज
बरकतउल्ला
पुष्पाबाई
चमेली
लाल
रूपनाराय
रामदेव
संतोष
मैना
मंजू
निर्मला
हीरालाल
गंगाबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(जो नत्थी है) समस्त रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा स्वीकार किया जा चुका है वादीगण का वाद पक्ष राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर डिक्री [illegible] हो) पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो) ह० [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
...../2022	11.04.2022	6.9.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– महावीर पुत्र बाल्या जाति बैरवा निवासी भगवानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
2– मोडीबाई पुत्री बाल्या पत्नी श्यामलाल जाति बेरवा निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा
3– कंचनबाई पुत्री बाल्या पत्नी जगन्नाथ जाति बेंरवा निवासी अम्बेडकर कॉलोनी कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– दशरथ आत्मज भंवरलाल जाति बेरवा
2– धर्मराज आत्मज भंवरलाल जाति बेरवा
3– मुरारीलाल आत्मज भंवरलाल जाति बेरवा निवासी भदाना तह0 लाडपुरा
4– पार्वती बेवा मन्ना जी जाति बेरवा
5– बजरंगलाल आत्मज मन्ना जी जाति बेरवा
6– मथुरालाल आत्मज मन्ना जी जाति बेरवा
7– सत्यनारायण आत्मज मन्ना जी जाति बेरवा
8– मनभर पुत्री मन्ना जी जाति बेरवा
निवासीगण भगवानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
9– मन्जू पुत्री मन्ना, पत्नी पप्पूलाल जाति बेरवा निवासी चार तहसील दीगोद
10– कैलाबाई पुत्री मन्ना, पत्नी रामचन्द्र जी जाति बेरवा निवासी रायपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
11– जगनीबाई पुत्री मन्ना, पत्नी रामकिशन जी जाति बेरवा निवासी इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी
12– कल्याणी बाई पत्नी मांगीलाल जाति बेरवा निवासी भगवानपुरा तहसील दीगोद
13– निर्मला पुत्री मांगीलाल , पत्नी मुकुट जाति बेरवा निवासी भगवानपुरा हाल बून्दी
14– बनासबाई पुत्री मांगीलाल , पत्नी राजेन्द्र जाति बेरवा निवासी पाटून्दा रोड बून्दी
15– समरताबाई उर्फ सुमित्रा पुत्री मांगीलाल पत्नी नरेश जाति बेरवा निवासी गरजनपुरा तहसील बांरा जिला बांरा
16– भूलीबाई पुत्री उदया, पत्नी छीतरलाल जाति बेरवा निवासी डोलर तहसील के0पाटन जिला बून्दी
17– मथुरी पुत्री उदया जाति बेरवा निवासी भगवानपुरा मृतक जरिये कायम मुकामान–

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

17/1 मोडूलाल माता मथुरी पिता लटूरलाल
17/2 रामदेव माता मथुरी पिता लटूरलाल
17/3 हीरालाल माता मथुरी पिता लटूरलाल
जाति बेरवा निवासीगण चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा
17/4 गंगाबाई माता मथुरी पिता लटूरलाल , पत्नी जगन्नाथ जाति बेरवा निवासी इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी
18– दांखा पुत्री काल्या पत्नी मोडू जाति निवासी डोलर तहसील के0पाटन जिला बूंदी
19– रामनाथी पत्नी गोबरीलाल जाति बेरवा निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
20– गोरया उर्फ गोबरीलाल पुत्र कल्याण जाति बेरवा निवासी भगवानपुरा मृतक जरिये कायम मुकामान–
20/1 जुगराज आत्मज गोरया उर्फ गोबरीलाल
20/2 पुष्पा पत्नी गोरया उर्फ गोबरीलाल
जाति बेरवा निवासीगण भगवानपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
20/3 चम्पाबाई पुत्री गोरया उर्फ गोबरीलाल, पत्नी रामकिशन जाति बेरवा निवासी दीगोद जिला कोटा
20/4 चमेली बाई पुत्री गोरया उर्फ गोबरीलाल जाति बेरवा निवासी भगवानपुरा हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा
21– पुष्पा पुत्री कल्याण पत्नी गोपाल जाति बैरवा मृतक जरिये कायम मुकामान–
21/1 हजारीलाल पुत्र गोपाल जाति बेरवा निवासी थारलाल खेडली तह0 दीगोद जिला कोटा
21/2 सुगना पुत्री गोपाल पत्नी रामहेत जाति बेरवा निवासी रायपुर तहसील अन्ता जिला बांरा
21/3 संतोष बाई पुत्री गोपाल पत्नी रामस्वरूप जाति बेरवा निवासी कुम्हारों का मोहल्ला प्रेम नगर कोटा
21/4 मैना बाई पुत्री गोपाल पत्नी हरिओम जाति बैरवा निवासी थारला तहसील दीगोद जिला कोटा
21/5 संजू पुत्री गोपाल पत्नी हरिओम जाति बेरवा निवासी नापाहेड़ा तहसील दीगोद जिला कोटा
22– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 अधि0 बाबत विभाजन व दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद निम्न रूपण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम अतरालिया पटवार क्षेत्र चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में निम्न खसरा नम्बरान की भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 संलग्न है।

खसरा नम्बर 1166 की 0.68 हेक्टर
खसरा नम्बर 919 की 0.90 हेक्टर
खसरा नम्बर 984 की 0.10 हेक्टर
खसरा नम्बर 986 की 0.39 हेक्टर

कुल 4 किता की 2.07 हेक्टर भूमि

यह कि उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी क्रम 1 का 1/36 हिस्सा, वादी क्रम 2 का 1/36 हिस्सा व वादी क्रम 3 का 1/36 हिस्सा दर्ज है।

यह कि ग्राम अतरालिया पटवार क्षेत्र चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1272 की 1.79 हेक्टर व खसरा नम्बर 918 की 0.82 हेक्टर कुल दो किता की 2.61 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 संलग्न है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी नं0 1 का 1/16 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/16 हिस्सा व वादी नं0 3 का 1/16 हिस्सा दर्ज है।

यह कि ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र कोटसुवा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 578 की 0.85 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न है। उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 का 1/16 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/16 हिस्सा व वादी नं0 3 का 1/16 हिस्सा दर्ज है।

यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 व 3 में सहखातेदार का नाम गोरया पुत्र कल्याण दर्ज है जबकि गोरया का दूसरा नाम गोबरीलाल भी है तथा गोरया को गोरया व गोबरीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाता है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। इस कारण गोरया के स्थान पर गोरया उर्फ गोबरीलाल दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है। जबकि ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी गोरया के वारिसान को गोबरीलाल के वारिसान के रूप में दर्ज किया हुआ है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त भूमियों को आपसी रजामन्दी से काश्त चले आ रहे है तथा कडता लगान जमा कराने में विवाद होने लग गया है। इस कारण उपरोक्त भूमियां शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 26.03.2022 को विभाजन करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से इन्कार कर दिया।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण उपरोक्त भूमि में क्रमशः 1/12 हिस्से के, 3/16 हिस्से के व 3/16 हिस्से के अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन से इन्कार करने पर वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में बंटवारा वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

(1) कि ग्राम अतरालिया पटवार क्षेत्र चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 1166 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 919 की 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 984 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 986 की 0.39 हेक्टर कुल 4 किता की 2.07 हेक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के क्रम 1/36, 1/36, 1/36 यानि 1/12 हिस्से की भूमि वादीगण के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे।

(2) कि ग्राम अतरालिया पटवार क्षेत्र चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1272 की 1.79 हेक्टर व खसरा नम्बर 918 की 0.82 हेक्टर कुल दो किता की 2.61 हेक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के क्रमशः 1/16, 1/16, 1/16 हिस्सा यानि 3/16 हिस्से की भूमि वादीगण के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे।

(3) कि ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र कोटसुवा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 578 की 0.85 हेक्टर भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के क्रमशः 1/16, 1/16 , 1/16 हिस्सा यानि 3/16 हिस्से की भूमि वादीगण के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे व अलग से लगान कायम किया जावे।

(4) कि ग्राम अतरालिया के राजस्व रिकार्ड मद नं0 1 व 3 में गोरया पुत्र कल्याण को गोरया उर्फ गोबरीलाल दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादीगण की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम अतरालिया सम्वत 2076–2079
2– नकल जिमाबन्दी ग्राम भगवानपुरा सम्वत 2074 से 2077
3– नकल जमाबन्दी ग्राम अतरालिया सम्वत 2076–2079
4– छाया प्रतियां प्रतिवादीगण के आधार कार्ड
5– शपथ पत्र महावीर मृतक चाहन्या बाई के वारिसान के क्रम मे
6– शपथ पत्र जुगराज मृतक गोबरीलाल के वारिसान के क्रम में
7– शपथ पत्र हजारीलाल मृतक पुष्पा पुत्री कल्याणी पत्नी गोपाल के वारिसान के क्रम में।
8– ग्राम पंचायत कोटसुवा से वारिसान का प्रमाण पत्र
9– ग्राम पंचायत जालिमपुरा से वारिसान का प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा [illegible] प्रस्तुत किया गया:–

उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है जो निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

(अ) ग्राम अतरालिया पटवार क्षेत्र चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 1166 की 0.68 हेक्टर, खसरा नम्बर 919 की 0.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 984 की 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 986 की 0.39 हेक्टर कुल 4 किता की 2.07 हेक्टर भूमि

(ब) ग्राम अतरालिया के खसरा नम्बर 1272 रकबा 1.79 हेक्टर , खसरा नम्बर 918 रकबा 0.82 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.61 हे0

(स) ग्राम भगवानपुरा के खसरा नम्बर 578 रकबा 0.85 हेक्टर

उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवारदीगण निम्न प्रकार से राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करवाना चाहते है:–

1– वादी महावीर के हिस्से में आयी भूमि :–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
अतरालिया	1272	1.79 हेक्टर	सम्पूर्ण	
अतरालिया	918	0.82 हेक्टर	सम्पूर्ण	
अतरालिया	919	0.90 हे0 में से 0.04 हेक्टर	दक्षिण	

2–प्रतिवादी नं0 1 , 2, व 3 दशरथ, धर्मराज, मुरारीलाल के हिस्से में :–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
अतरालिया	1166	0.68 हेक्टर		– सम्पूर्ण

3– प्रतिवादी नं0 19 रामनाथी के हिस्से में आयी भूमि–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
अतरालिया	984 986	0.10 हेक्टर 0.39 हेक्टर	सम्पूर्ण सम्पूर्ण	–

4– प्रतिवादी नं0 20/1 जुगराज के हिस्से आयी भूमि –

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
अतरालिया	919	0.90 हेक्टर में से 0.86 हे0	उत्तर	

5– प्रतिवादी नं0 12, 13, 14, 15, कल्याणीबाई निर्मला, बनासबाई, समरता उर्फ सुमित्रा के हिस्से में आयी भूमि–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
भगवानपुरा	578	0.85 हेक्टर	सम्पूर्ण	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादी नं0 2, 3, व प्रतिवादीगण 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, अपना अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया है जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते है। अपने हिस्से का त्याग कर दिया है।

यह कि उक्त राजीनामा के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपना वाद को डिक्री करवाना चाहते है जो राजीनामें के आधार पर डिक्री जारी की जावे। उक्त आराजी पुश्तैनी है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करे।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सहमति से उभय पक्ष के मध्य राजीनामा स्वीकार किया जाता है:—

1— वादी महावीर के हिस्से में आयी भूमि :—

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	—
अतरालिया	1272	1.79 हेक्टर	सम्पूर्ण	
अतरालिया	918	0.82 हेक्टर	सम्पूर्ण	
अतरालिया	919	0.90 हे0 में से 0.04 हेक्टर	दक्षिण	

2—प्रतिवादी नं0 1 , 2, व 3 दशरथ, धर्मराज, मुरारीलाल के हिस्से में :—

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	—
अतरालिया	1166	0.68 हेक्टर		— सम्पूर्ण

3— प्रतिवादी नं0 19 रामनाथी के हिस्से में आयी भूमि—

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	—
अतरालिया	984 986	0.10 हेक्टर 0.39 हेक्टर	सम्पूर्ण सम्पूर्ण	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested

4— प्रतिवादी नं0 20/1 जुगराज के हिस्से आयी भूमि —

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	—
अतरालिया	919	0.90 हेक्टर में से 0.86 हे0	उत्तर	

5– प्रतिवादी नं0 12, 13, 14, 15, कल्याणीबाई निर्मला, बनासबाई, समरता उर्फ सुमित्रा के हिस्से में आयी भूमि–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	–
भगवानपुरा	578	0.85 हेक्टर	सम्पूर्ण	–

यह कि वादी नं0 2, 3, व प्रतिवादीगण 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16,17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 20/2, 20/3, 20/4, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, अपना अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया है जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते है। अपने हिस्से का त्याग कर दिया है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

अतः प्रस्तुत राजीनाम स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.9.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:18:22 IST
Reason: SelfAttested